फर्द अहकाम

नाम न्यायालय — भगवान सहाय वगै. बनाम रेवड वगै० / उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर ग्रामीण

केस संख्या 105/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। पत्रावली में वकील अपीलार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पूर्व में [illegible] 7(1) पर बहस सुनी जा चुकी है लेकिन आदेश तारीख की जा चुकी है लेकिन आदेश [illegible] पर नहीं लिखा गया तथा निर्णय तिथि पर [illegible] आदेश लिखने से रह गया। [illegible] पर लिखा जाना है। पत्रावली वास्ते आदेश धारा 188 भा.रा. अधि. [illegible] हेतु दिनांक 10/10/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	10/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप. पत्रावली आदेश हेतु विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील अपीलार्थी पक्ष की बहस का मनन किया गया। अतः वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया जाता है।	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, ज. — भगवान सहाय बनाम रेकड़ राज०

केस संख्या 105/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		निर्णय आज पृथक से उद्घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कार्य हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
22 / 2022	26 / 08 / 2022	10 / 10 / 2024

1. भगवान सहाय पुत्र छोटूराम
2. रामफूल पुत्र छोटूराम

जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मून्डला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रेवड पुत्र भूरा
2. कल्याण पुत्र भूरा
3. बालू पुत्र नाथू

समस्त जाति गुर्जर निवासी कोलीयो की ढाणी, ग्राम मून्डला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री राजेश कुमार पारीक :– वकील वादीगण।
श्री किशन लाल :– वकील प्रतिवादीगण।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री राजेश कुमार पारीक ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 0.1000है0 ग्राम मून्डला तहसील जमवारामगढ में स्थित है। जिसके वादीगण रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वादांकित भूमि में प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है, परन्तु प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से आये दिन उक्त भूमि पर दखल उत्पन्न करते है, वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने में मजाहमन उत्पन्न करते है, लडाई झगडा की नापाक कोशिश करते रहते है। वादीगण ने उक्त भूमि वादग्रस्त पर तारफैसिंग कर रखी है, तथा उस पर काश्त करते है, परन्तु प्रतिवादीगण उसको हडपने पर आमादा रहते है। जब वादीगण उसको काश्त करते है तो मना करते है, ट्रेक्टर को जाने से रोकने है, भूमि को हडपने की नीयत से ही दिनांक 15.07.2022 को प्रतिवादीगण एकजूट होकर भूमि पर आये ओर वादी सं0 2 को धमकाते हुए कहा ि कवह इस भूमि पर आये ओर वादी सं0 2 को धमकाते हुए कहा ि कवह इस भूमि पर वादीगण को काश्त नही करने देगे ओर यह भूमि हमें बेच दो नही तो हम इसे जबरन तुमसे छीन लेगे, काश्त नही करने देगे। उक्त घटना के बाद यह आवश्यक हो गया है कि वादीगण अपनी खातेदारी अधिराकों की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई

निषेधाज्ञा पाबन्द करवाये, कि वह वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने में बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखल उत्पन्न नही करें, उक्त भूमि पर अतिक्रमण, कब्जा नही करें, ना ही उसकी सीमाओं में प्रवेश करें, इस आशय से पाबन्द करवाने के वादीगण अधिकारी है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 0.1000है0 स्थित ग्राम मून्डला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखल उत्पन्न नही करें, एवं अतिक्रमण नही करे, कब्जा करे, ना ही उसकी सीमाओं में प्रवेश करें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री किशन लाल ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली में वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया। जिस पर वकील वादी ने जवाब नही देकर सीधी बहस की। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 को खारिज किया गया।

वकील प्रतिवादीगण ने वाद पत्र में जवाब नही पेश किया। अतः वकील प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया। वकील उभय पक्षो की बहस वाद पत्र पर सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षो की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मून्डला, पटवार हल्का रूपवास, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 625 रकबा 0.1000 हैक्टेयर में वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न नही करे, उक्त भूमि पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखल उत्पन्न नही करें, एवं अतिक्रमण नही करे, कब्जा करे, ना ही उसकी सीमाओं में प्रवेश करें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10/10/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ